मुंतकिली प्रा0प0 / टीए/ 8937/ 2024 / बीकानेर
मम्मी खां बनाम राजेन्द्र कुमार वगैरह

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>

23.1.2025</td><td>

एकल–पीठ
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री राजेश कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी ।
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थीगण

आदेश

हस्तगत् मुंतकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–233 प्रस्तुत कर न्यायालय उपखंड अधिकारी छत्तरगढ के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र सं. 5/23 उनवानी गुलाम कादर बनाम श्यामलाल आदि को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरण करने का निवेदन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि जिस प्रकरण सं. 5/23 को अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित करने का निवेदन किया गया है उसका अंतिम निस्तारण दिनांक 30–12–2024 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् मुंतकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी छत्तरगढ के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र सं. 5/23 उनवानी गुलाम कादर बनाम श्यामलाल आदि को हस्तगत् मुंतकिली प्रार्थना पत्र के जरिये स्थानांतरित करने का निवेदन किया गया है उक्त प्रकरण का अंतिम निस्तारण उपखंड अधिकारी छत्तरगढ द्वारा दिनांक 30–12–2024 को किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् मुंतकिली प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत् मुंतकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

</td><td></td></tr>
</table>